भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2921

19 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी

2921. श्रीमती धर्मशीला गुप्ता:

श्री अमर पाल मौर्य:

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:

श्री मनन कुमार मिश्र:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में शामिल किए गए लाभार्थी/परिवारों की संख्या कितनी हैं; और

(घ) चालू वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वितरित खाद्यान्न की मात्रा कितनी है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), देश में कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और ज़रूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के विशिष्ट उद्देश्य से शुरू की गई थी। कोविड संकट को देखते हुए, पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न का आबंटन लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए नियमित आबंटन के अतिरिक्त था। पीएमजीकेएवाई (चरण I-VII) के तहत 28 माह की अवधि के लिए लगभग 1118 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया गया था, जिसका कुल नियोजित वित्तीय परिव्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये था।

.....2/-

गरीब लाभार्थियों का वित्तीय बोझ कम करने और गरीबों की सहायता के कार्यक्रम में देशव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत दिनांक 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि दिनांक 1 जनवरी, 2024 से पाँच वर्षों के लिए आगे बढ़ा दी गई है।

(ग): वर्तमान में, 81.35 करोड़ के लक्षित कवरेज की तुलना में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 80.56 करोड़ लोगों की पहचान की है। फिर भी, एनएफएसए के अंतर्गत 0.79 करोड़ और लाभार्थियों की पहचान की गुंजाइश है।

(घ): चालू वित्त वर्ष (दिनांक 31.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 303.42 लाख टन खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है।
